अध्याय IV
सरकारी विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

अध्याय-IV

सरकारी विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

कार्यपालक सारांश

परिचय

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विविध विकासात्मक योजनाओं विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं स्थिति में सुधार से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा विभाग ने योजना, वित्तीय प्रबन्धन एवं कार्यक्रम प्रबन्धन में कमियों को प्रकट किया। विभाग की लेखापरीक्षा द्वारा प्रकटित हुआ कि जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड स्तरों पर विभाग के स्वयं के कार्यालय नहीं होने के कारण तथा लाभार्थियों को ससमय साहाय्य राशि वितरित नहीं किए जाने के कारण अव्ययित अवशेष राशियाँ समय के साथ बढ़ती गयी तथा केन्द्रीय सहाय्य राशि से भी वंचित होना पड़ा।

योजना

विभाग ने अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु परिप्रेक्ष्य/वार्षिक योजना तैयार नहीं किया था। जिला स्तर पर विभाग के अंतःसंरचना रहित तदर्थ व्यवस्था के कारण कल्याण योजनाएँ प्रभावित हुई।

(कंडिका 4.6)

वित्तीय प्रबंधन

विभाग अपनी आबंटित निधियों का मात्र 61 प्रतिशत ही उपयोग कर सका। उसके बाद यह भी पाया गया कि बचतों से किये गये प्रत्यार्पण (99 प्रतिशत) वित्तीय वर्षों के अंतिम तिथि में किए गए थे। निधियों के अवरूधन, गलत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समर्पण, निधियों के विलंबित विमुक्ति तथा निधियों के विचलन के मामले भी पाए गए। विभाग के व्यय आँकड़ों एवं विनियोजन लेखे में ₹ 23.81 करोड़ का अन्तर था तथा अन्तर राशि असमाशोधित पड़ी थी।

(कंडिका 4.7)

योजनाओं का क्रियान्वयन

एम.एस.डी.पी. अन्तर्गत, वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग मात्र ₹ 350.86 करोड़ ही व्यय कर सका तथा अवशेष ₹ 121.21 करोड़ मार्च 2012 के अन्त तक अव्यवहृत पड़े थे। इस प्रकार निधियों के अनुपयोगित रहने के कारण एम.एस.डी.पी. के निर्धारित लक्ष्य को पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं किया जा सका और ₹ 112.20 करोड़ की केन्द्रीय साहाय्य राशि से राज्य वंचित हुआ। अन्य योजनाएँ यथा प्री–मैट्रिक/पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना भी उचित रूप से क्रियान्वित नहीं की गई थी। ***(कंडिका 4.8)***

निष्कर्ष

विभाग ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए किसी विशिष्ट योजना का सृजन नहीं किया था। विभाग में वित्तीय प्रबन्धन का अभाव था चूँकि विभाग आबंटित निधियों का मात्र 61 प्रतिशत ही वितरित/उपयोग कर सका था। विभाग के अप्रभावी कार्यकलाप के कारण, अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक कल्याणकारी योजना अंशतः क्रियान्वित या अक्रियान्वित थी।

(कंडिका 4.9)

अनुशंसाएँ

विभाग को अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अपनी कार्ययोजना तैयार एवं शुरूआत करनी चाहिए। विभाग की मानवशक्ति पर्याप्त एवं तर्कसंगत होनी चाहिए। बजट प्राकल्लनों को तैयार करने में आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए जो वास्तविकता पर आधारित हो जिससे बचतों से बचा जा सके और योजनाओं का, उनकी दिशानिर्देशों के अनुसार, कठोरता से क्रियान्वयन किया जा सके।

(कंडिका 4.10)

4.1 परिचय

विभिन्न संबंन्धित विभागों द्वारा क्रियान्वित अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों[1] के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से वर्ष 1991 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार अस्तित्व में आया। बिहार में, अल्पसंख्यक राज्य की कुल आबादी का 16.71 प्रतिशत हैं तथा अल्पसंख्यकों की कुल आबादी का 99 प्रतिशत मुस्लिम हैं एवं अन्य की आबादी यथा इसाई, बौद्ध, सिख एवं पारसी नाममात्र हैं। विभाग अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण, हज एवं वक्फ से संबंधित कार्यों को सम्पादित करता है तथा निगम/अभिकरणों यथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, 15 सूत्री कार्यक्रम समिति ***(परिशिष्ट 4.1)***, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम एवं उर्दू अकादमी पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभाग ने वर्ष 2007–12 के दौरान 16 योजनाओं को क्रियान्वित किया। इनमें से 12 राज्य योजना के तहत् थे एवं तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (हिस्सेदारी पर आधारित) और एक केन्द्रीय योजनागत योजना थी।

4.2 संगठनात्मक संरचना

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सांगठनिक संरचना चार्ट में नीचे दी गई है:

चार्ट-I

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संगठनिक संरचना

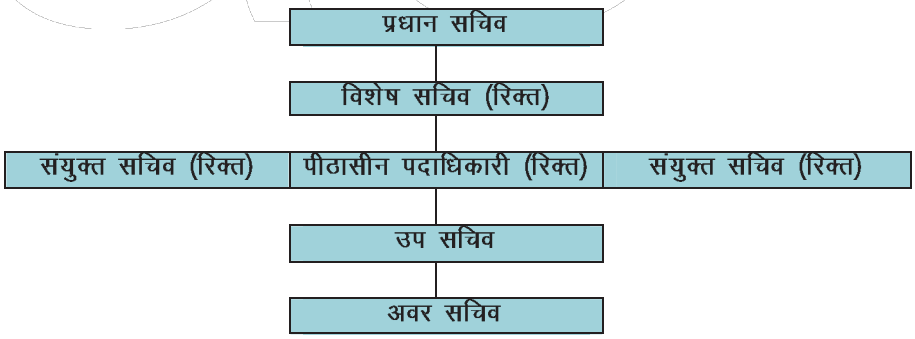

जैसा कि स्पष्ट है चार उच्च पद रिक्त पड़े थे। तदोपरान्त, विभाग का प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला स्तरों पर कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं था। क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की अल्पसंख्यक कल्याणार्थ योजनाएँ एवं गतिविधियाँ जिला पदाधिकारी (जि. पदा.) द्वारा उप–विकास आयुक्त (उ.वि.आ.), जिला योजना पदाधिकारी (जि.यो.पदा.),

1 *मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध एवं जरथष्ट (पारसी) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2(c) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।*

जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.पदा.), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.पदा.), जिला अभियन्ता, कार्य प्रमंडल के कार्यकलाप अभियंता, जिला शिक्षा पदाधिकारी (जि.शि.पदा.) एवं अन्य सभी कार्यकारी अभिकरणों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही थी।

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण मूल्यांकन करना था कि :

- कार्य योजना, वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं का कार्यान्वयन पर्याप्त एवं प्रभावकारी था; और
- अभिप्रेत लक्ष्यों की प्राप्ति हुई थी।

4.4 लेखापरीक्षा मानक

अंगीकृत लेखापरीक्षा मानक थे:

- बिहार सरकार एवं भारत सरकार के अधिनियम, नियम एवं विनियम (बिहार बजट नियमावली, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, जो अल्पसंख्यक कल्याण की गतिविधियों के लिए लागू हो;
- केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं हेतु भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश एवं दिशानिर्देश; तथा
- विभाग का अधिदेश तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के दिशानिर्देश।

4.5 लेखापरीक्षा का कार्य–क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

इस लेखापरीक्षा ने वर्ष 2007–12 की अवधि को आच्छादित किया है तथा इसे मई 2012 से जुलाई 2012 एवं अक्टूबर 2012 से नवम्बर 2012 के दौरान विभाग के मुख्यालय एवं सात[2] जिला कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच द्वारा संपादित किया गया। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (बी.एस.एम.एफ.सी.) से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग भी विभाग की गतिविधियों के सर्वांगीण मूल्यांकन हेतु किया गया। लेखापरीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत संदर्भित सूचनाओं के परीक्षण, संकलन एवं मूल्यांकन में क्षेत्रीय दौरे तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन से जुड़े उत्तरदायी पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी शामिल थे। इस लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने तथा विभाग का उस पर मन्तव्य प्राप्त करने हेतु विभाग के प्रधान सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ मार्च 2012 में एक प्रवेश बैठक आयोजित किया गया। जनवरी 2013 में आयोजित बर्हिगमन बैठक में लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रधान सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, अपर सचिव एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकलाप पदाधिकारी के साथ जनवरी 2013 में बर्हिगमन बैठक में विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने में विभाग के जवाबों एवं मन्तव्यों का भी ध्यान रखा गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विभाग के लेखापरीक्षा क्रम में पायी गई कमियों की चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है:

---

2 *(i) अररिया (ii) दरभंगा (iii) कटिहार (iv) किशनगंज (v) पूर्णियाँ (vi) सीतामढ़ी और (vii) पश्चिम चम्पारण।*

4.6 योजना

विभाग द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना/वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी और विभाग बिना आधारभूत संरचना के कार्य कर रहा था

किसी विभाग की समुचित कार्ययोजना उसकी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मुख्य कुँजी है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग को समुचित कार्ययोजना बनाने की आवश्यक थी क्योंकि विभाग का लक्ष्य अल्पसंख्यकों की वस्तुस्थिति का उत्थान करना था। विभाग ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना/वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया था। अतः लेखापरीक्षा क्रम में योजना से संबंधित कोई भी अभिलेख उपस्थापित नहीं किया गया। तत्पश्चात, यह पाया गया कि विभाग का अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तरों पर कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं था तथा विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी द्वारा उप–विकास आयुक्त, जिला योजना/कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, विद्यालय के प्राचार्यो प्रधानाध्यापकों एवं अन्य कार्यकारी अभिकरणों जो विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं थे के सहयोग से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त विभाग, निदेशालय एवं जिला अल्पसंख्यक कोषांगों का गठन भी नहीं कर सका था। विभाग के पास योजनाओं से प्राप्त लाभ संबंधी सूचनाओं के संकलन करने हेतु न कोई तंत्र था और न हीं कार्यकारी अभिकरणों एवं विभाग के बीच की खाई को पाटने का प्रयास ही किया गया था। इसके अलावा, विभाग के पास कोई अनुश्रवण प्रणाली नहीं थी और विभागीय बेबसाइट भी अद्यतन नहीं था।

बहिर्गमन बैठक के दौरान प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (जनवरी 2013) ने कहा कि विभाग द्वारा केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं अन्य राज्य प्रायोजित योजनाएँ उनसे सम्बन्धित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की गयी थी। विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि विभाग सीमित मानवबल एवं संसाधनों के साथ कार्य कर रहा था तथा सुधारात्मक कार्रवाही की जा रही थी।

4.7 वित्तीय प्रबन्धन

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग के बजट प्रावधान, व्यय, प्रत्यर्पण एवं बचत के आँकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका संख्या 1

वर्ष 2007–12 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय एवं प्रत्यर्पण/बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटन			व्यय			प्रत्यर्पण			बचत/व्यपगत (-)			कुल बचत (प्रत्यर्पण + बचत) एवं प्रतिशतता
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	बचत (-)
2007-08	25.82	3.17	28.99	24.42	2.03	26.45	1.40	1.12	2.52	0	(-)0.02	(-)0.02	(-)2.54 (9)
2008-09	66.23	5.11	71.34	51.20	4.39	55.59	0.70	0.50	1.20	(-)14.33	(-)0.22	(-)14.55	(-)15.75 (22)
2009-10	230.20	4.30	234.50	160.25	3.70	163.95	56.21	0.25	56.46	(-)13.74	(-)0.35	(-)14.09	(-)70.55 (30)
2010-11	461.95	4.39	466.34	297.88	3.50	301.38	164.07	0.53	164.60	0.00	(-)0.36	(-)0.36	(-)164.96 (35)
2011-12	570.00	5.47	575.47	283.65	4.27	287.92	1.53	0.15	1.68	(-)284.82	(-)1.05	(-)285.87	(-)287.55 (50)
Total:-	1354.20	22.44	1376.64	817.40	17.89	835.29	223.91	2.55	226.46	(-)312.89	(-)2.00	(-)314.89	(-)541.35 (39)

(स्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखे एवं विभागीय विवरणी)

वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि विभाग कुल अनुदान का मात्र 61 प्रतिशत ही उपयोग कर सका था

ऊपर वर्णित तालिका से स्पष्ट है कि विभाग कुल अनुबन्ध ₹ 1376.64 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 835.29 करोड़ (61 प्रतिशत) उपयोग कर सका। इसके अलावे कुल अवशेष निधि में से ₹ 226.46 करोड़ प्रत्यर्पित किए गए थे तथा ₹ 314.89 करोड़ व्यपगत हो गए थे। आगे यह भी पाया गया कि ₹ 225.45 करोड़ (99 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन प्रत्यर्पित किए गए थे। परिणामस्वरूप वित्त विभाग द्वारा प्रत्यर्पित निधियाँ पुनर्विनियोजित नहीं की जा सकी।

वर्ष 2011–12 में, कार्य की धीमी प्रगति के कारण विभाग ₹ 287.55 करोड़ (कुल आबंटन ₹ 575.47 करोड़ का 50 प्रतिशत) का उपयोग नहीं कर सका एवं चार राज्य योजनागत योजनाओं यथा वक्फ संपत्ति के कंम्पयूटरीकरण, महाविद्यालयों की छात्रवृति, लोक सेवा आयोग में सफलता हेतु कोचिंग के लिए छात्रवृति एवं अल्पसंख्यकों के श्रमिकों के प्रशिक्षण में एवं आबंटन का शत्–प्रतिशत बचत पाया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा के आंकड़ों को नकारते हुए कहा (दिसम्बर 2012) कि शतप्रतिशत आवंटित राशि व्यय की गयी थी।

जवाब तथ्य संगत नहीं था क्योंकि विभाग ने प्रत्यर्पित/व्यपगत राशियों को शामिल नहीं किया गया था। हाँलांकि बहिर्गमन बैठक (जनवरी 2013) के दौरान प्रधान सचिव ने कहा कि आंकड़ों का सुधार एवं समाशोधन, जहाँ जैसी आवश्यकता हो, कर लिया जाएगा।

4.7.1 निधियों का विलंब से विमुक्त किया जाना

एम.एस.डी.पी. निधियों को नौ माह तक के विलंब से विमुक्त किए जाने के कारण योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) की सशक्त समिति के निर्देशानुसार, राज्य सरकार को प्राप्ति के एक माह के भीतर अनुमोदित निधियाँ अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों को विमुक्त करना था। तथापि, संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि केन्द्रांश का ₹ 255.33 करोड़ और राज्यांश का ₹ 47.61 करोड़ संबंधित जिलों को नौ माह एवं उससे अधिक विलम्ब से विमुक्त किया गया था। वैसे मामलों में विलम्ब की अवधियाँ नीचे तालिका में उल्लेखित है:

तालिका संख्या 2

एक माह की वास्तविक समयसीमा से विलंब विमुक्तियों के मामले

वर्ष	तीन माह तक	छः माह तक	नौ माह एवं उससे अधिक
2008-09	-	-	3
2009-10	7	3	-
2010-11	8	1	-
2011-12	26	1	-
कुल	**41**	**5**	**3**

जवाब में, विभाग ने स्वीकार किया (दिसंबर 2012) कि निधियों की विमुक्ति में विलंब योजनाओं के प्रारंभिक वर्षों में था परन्तु बाद में उसमें सुधार कर लिया गया।

तथापि यह पाया गया कि विलंबित विमुक्ति के अधिकांश मामले वर्ष 2011–12 के थे। इस प्रकार, निधि के विलम्बित विमुक्ति से एम.एस.डी.पी. योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

4.7.2 गलत उपयोगिता प्रमाण–पत्र

जिला प्रशासन, सीतामढ़ी, बेतिया एवं दरभंगा ने एम.एस.डी.पी. निधियों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा किया

एम.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों की कंडिका 15.5 के अनुसार, कार्यकारी अभिकरणों द्वारा योजना की राशि के व्ययोपरान्त ही उपयोगिता प्रमाण पत्र–जमा किया जाना था तथा उपयोगिता प्रमाण

–पत्र एवं अन्य अनिवार्य अभिलेखों की प्राप्ति के उपरान्त अगली किस्तें विमुक्त की जानी थी।

तीन नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों के जाँच क्रम में पाया गया कि योजना की दूसरी किस्त प्राप्ति हेतु जिला प्रशासन ने विभाग को एम.एस.डी.पी. निधियों (आंगनबाड़ी) की केन्द्रांश राशि का गलत उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा किया जो नीचे विवरणित है:

- रूपये तीन करोड़ (मार्च 2010) की प्राप्ति के विरूद्ध जिला प्रशासन, सीतामढ़ी ने पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जून 2012) जमा कर दिया जबकि उक्त अवधि की रोकड़ बही ने उजागर किया कि 11 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को कुल ₹ 2.85 करोड़[3] ही वितरित किये गये थे। इसके अलावा, प्रखंड विकास पदाधिकारियों के अभिलेखों की जाँच ने उद्घाटित किया कि मात्र ₹ 93.70 लाख[4] ही व्यय किए गए थे तथा ₹ 1.92 करोड़ की अवशेष राशि उनके संबंधित खाते में पड़ी थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसबंर 2012)।

- जिला प्रशासन, पश्चिम चम्पारण ने विभाग को रूपये छः करोड़ (जून 2011) का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किया जबकि सम्बन्धित रोकड़बही के अनुसार कार्यकारी अभिकरणों को ₹ 5.69 करोड़[5] ही वितरित किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि पुनः छः करोड़ (अक्टूबर 2011) प्राप्त किया गया था और जिला प्रशासन ने पुनः छः करोड़ (दूसरी किस्त) का उपयोगिता प्रमाणपत्र (जनवरी 2012) जमा कर दिया, जबकि रोकड़बही में ₹ 4.66 करोड़ अवशेष पड़े थे।

प्रत्युत्तर में विभाग ने जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के जवाब को अग्रसारित किया (दिसम्बर 2012) जिसमें यह बताया गया कि प्रथम किस्त की शेष राशि ₹ 0.31 करोड़ को भी ग्रामीण कार्य विभाग (संख्या 2) को प्रयोगशाला के कमरे के निर्माण हेतु दिया गया था हाँलांकि जिला पदाधिकारी ने दूसरी किस्त के रूपये छः करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र को जमा किये जाने से इन्कार किया।

जवाब तथ्यों से विपरीत थे क्योंकि जिला पदाधिकारी ने विभाग को उपयोगिता प्रमाणपत्र जनवरी, 2012 में ही जमा कर दिया था।

- उसी प्रकार जिला प्रशासन, दरभंगा ने विभाग को तीन करोड़ के प्रथम किस्त का गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र (जूलाई 2011) प्रस्तुत किया था जबकि जमीन के अभाव में कार्यकारी अभिकरण (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा) द्वारा ₹ 0.39 करोड़ जिला प्रशसन को लौटा (जून 2012) दिया गया था ।

---

3 *(i) बाजीपट्टी (₹ 20.10 लाख), (ii) भोखराहा (₹ 8.04 लाख), (iii) डुमरॉव (₹ 36.18 लाख), (iv) महराजगंज (₹ 32.16 लाख), (v) नानपुर (₹ 28.14 लाख), (vi) परिहार (₹ 44.22 लाख), (vii) पूपरी (₹ 8.04 लाख), (viii) रीगा (₹ 40.20 लाख), (ix) रून्नीसैदपुर (₹ 40.20 लाख), (x) सोनबरसा (₹ 8.04 लाख) और (xi) सूरसंड (₹ 20.10 लाख) (कुल=₹ 285.42 लाख)*

4 *(i) डुमरॉव (₹ 12.00 लाख) (ii) सूरसंड (₹ 16.78 लाख), (iii) रून्नीसैदपुर (₹ 3.95 लाख), (iv) भोखराहा (₹ 2.80 लाख), (v) रीगा (₹ 17.10 लाख), (vi) नानपुर (₹ 5.34 लाख), (vii) सोनबरसा (₹ 3.96 लाख), (viii) बाजीपट्टी (₹ 6.70 लाख), (ix) पूपरी (₹ 2.85 लाख), (x) परिहार (₹ 9.68 लाख) और (xi) मजोरगंज (₹ 12.54 लाख) (कुल = ₹ 93.70 लाख)*

5 *(i) का.अभि., ग्रा.का.वि.-2, बेतिया (₹ 213.60 लाख) और (ii) रा.ग्रा.रा.का. (₹ 355.50 लाख)*

जवाब में विभाग ने आश्वस्त किया (दिसम्बर 2012) कि यथोचित जॉच की जायेगी क्योंकि ये गंभीर एवं असहय्य मुद्दे थे।

4.7.3 निधि का अवरूधन

निधि के अवरूधन के कारण योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी

बिहार बजट नियमावली के नियम 107 (3) के अनुसार किसी राशि की निकासी कोषागार से तब तक नहीं की जानी चाहिए जबतक कि उसके तुरन्त भुगतान की आवश्यकता न हो। मांग की प्रत्याशा में या कार्य के कार्यान्वयन हेतु, जिसकी पूर्णता में अत्यधिक समय लगने की संभावना हो अथवा विनियोजन या व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषागार से अग्रिम की निकासी अनुमत्य नहीं है।

संवीक्षा ने प्रकटित किया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास निर्माण हेतु ₹ 1.28 करोड़ (मार्च 2001 में ₹ 0.30 करोड़, मार्च 2008 में ₹ 0.616 करोड़ एवं मार्च 2009 में ₹ 0.366 करोड़) आहरित किया और बैंक के बचत खाते में जमा किया। बाद में मिट्टी परीक्षणों पर ₹ 0.82 लाख (सितम्बर 2001) के व्ययोपरान्त उन्होंने ₹ 1.27 करोड (अप्रैल 2010) जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को हस्तान्तरित कर दिया। राशि अबतक जिला प्रशासन के खाते में अनुपयोगित पड़ी थी।

जवाब में विभाग ने स्वीकार किया (दिसंबर 2012) कि आहरित निधियों से मात्र ₹ 0.82 लाख व्यय किये गये थे तथा आश्वस्त किया कि जिला स्तर के साथ–साथ कार्यकारी अभिकरण के स्तर पर निधि के अवरूधन के कारणों की जाँच की जायेगी तथा राशियाँ व्यय की जाएँगी अथवा वापस मांग ली जायेगी।

अतः, वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए निधि आहरित की गयी और निधियों के अवरूधन के कारण योजना उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं हुई थी।

4.7.4 निधि का विचलन

एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान के स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्नित प्रावधानों एवं निदेशों में यह वर्णित था कि ''अनुदान प्राप्तकर्ता अनुदान के किसी भाग को किसी दूसरे अन्य गतिविधियों में विचलन नहीं करेंगे''। बहु–क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत किसी निधि का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विचलन किया जाना अनुमत्य नहीं था। दो नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने एम0एस0डी0पी0 निधियों के विचलन के मामलों को उद्घाटित किया जो नीचे वर्णित है:

प्रावधान के विपरीत ऑगनबाड़ी मद के निधि का इन्दिरा आवास योजना एवं प्रयोगशाला भवन में विचलन किया गया था।

- दरभंगा जिला में, चार करोड़ आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध निधि को इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई) में विचलन किया गया था।
- जिला प्रशासन पश्चिम चम्पारण (बेतीया) ने ₹ 1.09 करोड़ और ₹ 0.66 करोड़ क्रमशः तीन कमरों के प्रयोगशाला भवन और दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण वास्ते विचलित किया था। आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माणार्थ प्राप्त आबंटन की निधि को विचलित किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि उस योजना मद, जिसके लिए विचलन किया गया था, में निधि प्राप्ति के उपरान्त उसे समायोजित कर लिया जाएगा।

4.7.5 व्यय नियंत्रण पंजी का असंधारण

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 472 यह विहित करता है कि प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र के अनुदान अथवा अनुदानों से किये जाने वाले व्यय के

नियंत्रण के प्रति उत्तरदायी होगा और नियंत्रण पदाधिकारियों के माध्यम से नियंत्रित करेगा। आगे, नियम यह भी विहित करता है कि विभागाध्यक्ष को लेखे के प्रत्येक लघुशीर्ष अथवा उप शीर्ष हेतु निर्धारित प्रपत्र में नियंत्रण पंजी को संधारित करना चाहिये।

विभाग ने आबंटनों के विरूद्ध व्यय पर नियंत्रण हेतु व्यय नियंत्रण पंजी संधारित नहीं किया था

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकटित किया कि विभाग द्वारा वैसी कोई व्यय नियंत्रण पंजी संधारित नहीं की गयी थी। आबंटन, व्यय, अवशेष एवं निधियों के विनियोजन अभिलेखित और सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं थे। व्यय नियंत्रण पंजी के नहीं होने के कारण अररिया जिला को आबंटित ₹ 11.52 करोड़ के निधि की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग ने आबंटन अवशेष ₹ 10.42 करोड़ के विरूद्ध ₹ 11.52 करोड का आबंटन जारी कर दिया था। परिणामस्वरूप, व्यय नियंत्रण तंत्र के प्रति विभागीय अनुपालन अपर्याप्त था।

जवाब में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2012) किया तथा आश्वस्त किया कि भविष्य में व्यय नियंत्रण पंजी संधारित की जायेगी।

4.7.6 व्यय का समाशोधन नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii)के अनुसार, विभागीय प्रमुख को अपने विभाग से संबंधित प्राप्ति तथा व्यय के आँकड़ों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय में संधारित ऑकड़ों से मासिक समाशोधन करवाना चाहिये। अगर मासिक समाशोधन संभव न हो तो नियंत्री पदाधिकारी को इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के अंत में महालेखाकार कार्यालय में एक सहायक की प्रतिनियुक्ति करनी है।

संवीक्षा ने प्रकटित किया कि वर्ष 2007–12के दौरान विनियोजन लेखे में ₹ 811.48 करोड़ व्यय दर्शाए गये थे जबकि विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के अनुसार मात्र ₹ 835. 29 करोड़ ही व्यय दर्शाए गये थे। अतः ₹ 23.81 करोड़ की अन्तर राशि असमाशोधित पड़ी थी ***(परिशिष्ट 4.2)***, हाँलांकि, विभाग द्वारा वर्ष 2007–12 के दौरान गैर–योजना शीर्ष से किये गये व्यय के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

बर्हिगमन बैठक (जनवरी 2013) के दौरान प्रधान सचिव ने अपने पदाधिकारियों को आँकड़ों को समाशोधित किये जाने हेतु निदेशित किया।

4.7.7 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय नियम का कार्य

कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय नियम लिमिटेड (बी0एस0एम0एफ0सी0), पटना की स्थापना वर्ष 1984 में ₹ 10.00 करोड की प्रस्तावित हिस्सा पूँजी के साथ की गयी थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए वित/ऋण प्रदान करना था। आगे, बिहार राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम लिमिटेड (एन0एम0डी0एफ0सी0), नई दिल्ली की योजनाओं को क्रियान्वयित करने हेतु निगम को वर्ष 1977 में इसका सरणी अभिकरण नियुक्त किया गया था।

बी0एस0एम0एफ0सी0 ने वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया था और विभागीय उद्देश्यों की प्राप्ति में पीछे था

एन0एम0डी0एफ0सी0 नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अंतिम लाभुकों को निधियाँ प्रदान की जानी थी जबकि एन0एम0डी0एफ0सी0, राज्य सरणीयन अभिकरण (एस0सी0ए0) से साढ़े तीन प्रतिशत प्रभारित करता एवं ससमय ऋण चुकता करने पर आधा प्रतिशत की छूट भी देता। निधियाँ संवितरण की तिथि से तीन माह के अंदर उपयोगित कर ली जानी थी एवं असफलता की स्थिति में तीन माह बाद राज्य सरणीयन अभिकरण से छः प्रतिशत ब्याज प्रभारित किया जाना था एवं छः महीना बाद अनुपयोगित निधियाँ वापस माँग ली जानी थी।

तथापि, यह पाया गया कि न तो कर्ज नियम समय सीमा के अन्दर संवितरित किये गये थे (अद्यतन शेष स्थिति ₹ 4.71 करोड़ जैसा कि ***परिशिष्ट 4.3*** में विवरणित) और न ही दंडात्मक ब्याज ही प्रभारित किया गया था तथा अवितरित राशि भी निर्दिष्ट समयावधि समाप्ति के उपरांत एन0एम0डी0एफ0सी0 नई दिल्ली को वापस नहीं की गयी थी ।

जवाब में, विभाग ने स्वीकार किया कि वर्ष 2011–12 में एन0एम0डी0एफ0सी0 से प्राप्त ₹ 4.38 करोड की निधि के विरूद्ध मात्र ₹ 9.90 लाख ही शिक्षा ऋण मद में विमुक्त किया गया था। जवाब अपूर्ण था क्योंकि विभाग पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्राप्त निधियों के संदर्भ में मौन थी।

आगे, अंतिम तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निगम द्वारा प्राप्त/उपयोगित निधियों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने पाँच योजनाओं की निधियों को निगम में जमा किया था जैसा कि निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

तालिका संख्या–3
बी.एस.एम.एफ.सी. द्वारा निधि की प्राप्ति एवं उपयोगिता

(₹ *करोड़ में*)

योजना का नाम	प्राप्त निधि (वर्ष 2009–12)	संवितरित/उपयोगित निधि (वर्ष 2009–12)	अवशेष (31.3.12 को)
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम (केन्द्रीय)	44.29	19.55	24.74
तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति (केन्द्रीय)	9.46	7.75	1.71
राज्य छात्रवृत्ति (राज्य)	2.00	2.00	शून्य
मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना (राज्य)	1.00	0.00	1.00
कोचिंग योजना राज्य	1.65	0.98	0.67
कुल	**58.40**	**30.28**	**28.12**

(स्त्रोतः बी0एस0एम0एफ0सी0 पटना द्वारा प्रस्तुत विवरणी)

जैसा कि तालिका से परिलक्षित है, निगम प्राप्त निधियों का मात्र 52 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी। यह भी पाया गया कि निगम ने अपने निधि से ₹ 46.94 करोड़ (72 प्रतिशत) को अल्पावधि जमा में एवं शेष ₹ 18.16 करोड़ (28 प्रतिशत) को बचत खातों में रखा था। (मार्च 2012) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कमियाँ भी पाई गई :

- निगम के लेखे वर्ष 2008–09 से ही लम्बित थे और 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम का तैयार किया गया तुलन–पत्र एवं लाभ–हानि लेखे, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 (c) के अनुसार लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करते थे। इस प्रकार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्पष्ट स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

वी0एस0एम0एफ0सी0 के प्रबंध निदेशक (प्र0नि0) ने बताया (दिसम्बर 2012) कि निगम का वर्ष 2008–09 का आन्तरिक लेखा तैयार कर लिया गया था तथा शीघ्र ही जमा कर दिया जाएगा।

- अग्रिमों की वसूली में विलंब किये जा रहे थे तथा लाभुकों से निष्क्रिय परिसंपत्ति के ऋणों (एन0पी0ए0) को भी निगम द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

जवाब में प्र0नि0 ने कहा कि निगम ने ऋण पर ₹ 2.23 करोड़ का ब्याज सुनिश्चित कर लिया था और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण मद में ₹ 1.31 करोड़ का प्रावधान किया

गया था। जवाब अपूर्ण था क्योंकि अग्रिमों की वसूली एवं निष्क्रिय परिसंपत्तियों के संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया गया था ।

- बी0एस0एम0एफ0सी0, पटना ने वर्ष 2008–10 के दौरान मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनान्तर्गत ₹ तीन करोड़ का अनुदान प्राप्त किया था। (₹ दो करोड 2008–09 में एवं ₹ एक करोड 2009–10 में) जो संबंधित अल्पसंख्यकों में हुनर को विकसित करने एवं स्वरोजगार प्राप्त किए जाने हेतु निमित्त था। निगम योजना की शुरूआत नहीं कर सका और कुल राशि अद्यतन तिथि तक अप्रयुक्त पड़ी थी (सितम्बर 2012) ।

जवाब में प्र0नि0 ने इसका कारण सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों का पुनरीक्षण किया जाना बताया और आश्वस्त किया कि इसे चालू वर्ष में क्रियान्वित किया जाएगा ।

इस प्रकार निगम के वित्तीय नियंत्रण में कमी थी और विभाग के प्रधान सचिव का निगम, के निदेशक मंडल में सम्मिलित रहने के बावजूद निगम, विभाग के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में पिछड़ा हुआ था।

4.8 योजना का कार्यान्वयन

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग ने एक केन्द्रीय योजनागत योजना (अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति), तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) यथा बहुक्षेत्रीय विकास योजना (एम0एस0डी0पी0), प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और बारह राज्य योजनायें ***(परिशिष्ट 4.4)*** कार्यान्वित किया था। समेकित लेखा–परीक्षा के दौरान तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ एवं तीन राज्य योजनागत योजनाओं की समीक्षा की गई तथा उनके निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है:

4.8.1 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग ने तीन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) के क्रियान्वयन हेतु ₹ 1124.80 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया था। प्राप्त अनुदान में से ₹ 909.31 करोड़ प्राप्त वर्ष 2010–12 के दौरान किये गए थे और विभाग मात्र ₹ 483.38 करोड़ की व्यय कर सका था। कार्य की धीमी प्रगति, जमीन की अनुपलब्धता एवं कार्य के अक्रियान्वयन के कारण ₹ 425.93 करोड की शेष राशि अनुपयोगित पड़ी थी। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का निधि–प्रवाह नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 4

केन्द्रीय प्रायोजित योजना (₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान			व्यय			कुल बचत प्रतिशत
	केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (0)
2008-09	32.19	0.00	32.19	22.89	0.00	22.89	9.30 (29)
2009-10	169.95	13.35	183.30	103.72	13.35	117.07	66.23 (36)
2010-11	309.65	73.66	383.31	154.74	73.66	228.40	154.91(40)
2011-12	460.00	66.00	526.00	203.83	51.15	254.98	271.02(52)
कुल	**971.79**	**153.01**	**1124.80**	**485.18**	**138.16**	**623.34**	**501.46 (45)**

(स्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखा एवं विभागीय विवरणी)

आगे, योजनाओं में किए गए व्यय का विश्लेषण नीचे चर्चित है:

4.8.1.1 बहुउद्देशीय विकास योजना

विभाग एम.एस.डी.पी. निधियों का उपयोग नहीं कर सका और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–12) के दौरान, बहुक्षेत्रीय विकास योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक बाहुल्यता जिलों में उनके आर्थिक–सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के मानकों को सुदृढ़ कर जीवन को उन्नत बनाना एवं असमानताओं को कम किया जाना था। चिह्नित "विकास की कमियों" को एक जिला विशिष्ट योजना, जिससे विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा, स्वच्छता, पक्का आवास, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति की बेहतर अंतः संरचना प्रदान किया जा सके एवं आय सृजन गतिविधियाँ आरंभ करने हेतु लाभुक अनुकूल योजनाओं के माध्यम से दूर किया जाना था। जीवनस्तर में सुधार एवं आय सृजक गतिविधियाँ तथा विकास प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने हेतु आवश्यक पूर्णतः संवेदनशील अतःसंरचना युग्मताएँ यथा जोड़ने वाली सड़कें, आधारभूत स्वास्थ्य अंतःसंरचना, समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) केन्द्रों, हुनर विकास और विपणन सुविधाएँ भी कार्य योजना में शामिल किए जाने हेतु योग्य थी। जनगणना 2001 में अल्पसंख्यकों की आबादी और पिछड़ापन के मानकों के आधार पर देश में एम.एस.डी. पी. के क्रियान्वयन हेतु बिहार के सात जिलों[6] को चिह्नित किया गया। एम.एस.डी.पी. के अन्तर्गत विभाग ने वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 483.59 करोड़ राज्यांश की कुल विमुक्त राशि में से ₹ 472.07 करोड़ आहरित किया था। उसके बाद ₹ 88.67 करोड़ (प्रतिशत) वित्तीय वर्षों के अन्तिम माह में विमुक्त किया गया था। हाँलांकि यह अवलोकित किया गया कि विभाग मात्र ₹ 350.86 करोड़ ही व्यय कर सका और अवशेष निधि ₹ 121.21 करोड़ मार्च 2012 तक अनुपयोगित पड़ी थी। इस प्रकार निधियों के उपयोगित नहीं होने के कारण, एम.एस.डी.पी. हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किए गए और राज्य ₹ 112.20 करोड़ की केन्द्रीय साहाय्य राशि से भी वंचित हो गया ***(परिशिष्ट–4.5)***।

बहिर्गमन बैठक में, प्रधान सचिव ने कहा (जनवरी 2013) कि शेष केन्द्रीय साहाय्य राशि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त कर ली जायगी।

इस प्रकार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एम.एस.डी.पी. हेतु लक्षित केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त नहीं की जा सकी।

इसके अलावा सातों जिलों में एम.एस.डी.पी. के विभिन्न संघटकों के क्रियान्वयन की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को प्रकटित किया :

- **आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण**

राष्ट्रीय औसत की सीमा तक पूर्णतः टीकाकृत बच्चों की प्रतिशतता की कमी को पूरा करने हेतु अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय, नई दिल्ली ने वर्ष 2007–12 के दौरान आँगबाड़ी केन्द्रों की 4835 इकायों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी थी तथा राज्य सरकार को ₹ 118.11 करोड़ विमुक्त किया था। तदुपरान्त, 3124 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण लागत में वृद्वि के कारण राज्य सरकार ने विशेष साहाय्य राशि के रूप में ₹ 49.14 करोड़[7] को विमुक्त किया। बाद में, ₹ 11.52 करोड़ की राज्य विशेष सहाय्य राशि अररिया जिला प्रशासन द्वारा आहरित नहीं की जा सकी क्योंकि कोषागार द्वारा इंकार के साथ टिप्पणी की गई कि "किसी अन्य कोषगार से अधिक निकासी कर लिये जाने के कारण आवंटित निधि कम्प्यूटर में अपलोडेड नहीं की जा सकी"।

---

6 *अररिया, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी एवं पं. चंपारण।*

7 *(i) अररिया (694 इकाइयाँ @ ₹ 1.66 = ₹ 1152.04 लाख), (ii) किशनगंज (594 इकाइयाँ @ ₹ 1.02 = ₹ 605.88 लाख),(iii) पूर्णियाँ (1021 इकाइयाँ @ ₹ 1.66=₹ 1694.86 लाख), (iv) सीतामढ़ी (300 इकाइयाँ @ ₹ 2.02=₹ 606.00 लाख) और (v) दरभंगा (515 इकाइयाँ @ ₹ 1.66 =₹ 854.90 लाख)*

संवीक्षा ने प्रकटित किया कि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 4835 इकाईयों में से जिला प्रशासनों ने अपेक्षित राशि का 50 प्रतिशत मात्र की प्राप्ति (प्रथम किस्त एवं अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता) के कारण मात्र 1467 इकाईयों का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इनमें से 527 इकाईयाँ (प्रारम्भ किये गये गये इकाईयों का 36 प्रतिशत) पूर्ण की गयी थी और शेष 940 इकाईयाँ लेखापरीक्षा तिथि तक (जून 2012) अपूर्ण पड़ी थी। तदुपरान्त, भूमि की अनुपलब्धता के कारण 1343 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था एवं शेष 2025 आँगनबाड़ी केन्द्र जिला प्रशासन द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत भी नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 4.6)***। हाँलांकि यह अवलोकित किया गया कि कुल उपलब्ध निधि (₹ 155.73 करोड़) में से, जिला प्रशासनों ने मात्र ₹ 89.66 करोड़ (58 प्रतिशत) कार्यकारी अभिकरणों[8] को स्थानांतरित किया और शेष ₹ 66.07 करोड़ (42 प्रतिशत) जिला प्रशासनों के पास अनुपयोगित पड़ा था। आगे, यह पाया गया कि ₹ 57.91 करोड़ (₹ 89.66 करोड़ का 65 प्रतिशत) कार्यकारी अभिकरणों के पास अनुपयोगित पड़ा था। इस प्रकार मात्र ₹ 31.75 करोड़ (उपलब्ध निधि ₹ 155.73 करोड़ का 20 प्रतिशत) लेखा परीक्षा तिथि (जुलाई 2012) तक मात्र उपयोगित किया गया था।

प्रत्युत्तर में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि बिहार में भूमि की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या थी।

अतः राज्य में एम.एस.डी.पी. के इस संघटको का क्रियान्वयन अप्रभावी रहा।

- **इंदिरा आवास योजना का निर्माण**

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को उँचा उठाने हेतु पक्का मकान मुहैया करने हेतु इंदिरा आवास योजना, स्वीकृत योजनाओं में से एक है।

विभाग उपलब्ध निधियों का 20 प्रतिशत मात्र ही उपयोग कर सका और लक्षित 1467 केन्द्रों के विरूद्ध मात्र 527 (11 प्रतिशत) आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण पूर्ण किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि छः जिलों[9] को ₹ 127.03 करोड़ विमुक्त किया गया था जिसमें से पाँच जिलों के 67 प्रखण्डों[10] को ₹ 126.17 करोड़ वितरित किया गया था और ₹ 0.86 करोड़ तीन जिलों में प्रखण्डों को अवितारित पड़े थे। तदुपरान्त, वितरित निधियों में से ₹ 51.34 करोड़ (41 प्रतिशत) पाँच जिलों के 49 प्रखण्डों[11] में अनुपयोगित पड़े थे (मार्च 2012)। योजना के लिए प्रखण्डों के चयन में अल्पसंख्यक बाहुल्यता प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि दरभंगा जिले के किरतपुर एवं अलीनगर प्रखण्ड, जो अल्पसंख्यक बाहुल्यता प्रतिशत में क्रमशः 31 एवं 29 प्रतिशत थे, को चयनित नहीं किया गया था। जबकि उसी जिला के अल्पसंख्यक बाहुल्य (10 प्रतिशत) वाले बहेड़ी प्रखण्ड को चयनित किया गया था। उसी प्रकार, पश्चिम चम्पारण के 24 प्रतिशत अल्पसंख्यक बाहुल्यता वाले भितहा प्रखण्ड को 105 इंदिरा आवास योजना इकाईयों के लिए ₹ 0.94 करोड़ प्रदान किया गया जबकि इसी

---

8 *(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी (ii) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (iii) कार्य प्रमंडलों आदि।*

9 *(i) दरभंगा -₹ 399.88 लाख,(ii) कटिहार -₹ 3882.38 लाख,(iii) किशनगंज -₹ 1739.85 लाख,(iv) पूर्णियाँ -₹ 24.75 लाख,(v) सीतामढ़ी -₹ 3280.90 लाख और (vi) प. चम्पारण - ₹ 3374.995 लाख*

10 *सीतामढ़ी के 17 प्रखंड को ₹ 3219.70 लाख, किशनगंज के सात प्रखंड को ₹ 1739.85 लाख, दरभंगा के 13 प्रखंड को ₹ 399.88 लाख, कटिहार के 16 प्रखंड को ₹ 3882.15 लाख और प. चम्पारण के 14 प्रखंड को ₹ 3375.00 लाख।*

11 *(i) पं. चंपारण (10 प्रखंड -₹ 930.10 लाख), (ii) दरभंगा (तीन प्रखंड - ₹ 91.63 लाख), (iii) कटिहार (16 प्रखंड -₹ 1370.00 लाख), (iv) किशनगंज (पाँच प्रखंड - ₹ 569.69 लाख), (v) सीतामढ़ी (15 प्रखंड -₹ 2172.42 लाख) और जिला स्तर पर ₹ 0.86 करोड़ (कटिहार- ₹ 0.23 लाख, पूर्णियाँ-24.75 लाख और सीतामढ़ी -61.20 लाख)*

जिले के 16.8 प्रतिशत अल्पसंख्यक बहुल्यता वाले योगापटी प्रखण्ड को 205 इकाईयों हेतु ₹ 1.85 करोड़ किया गया था।

बहिर्गमन बैठक के दौरान, प्रधान सचिव ने आश्वस्त किया (जनवरी 2013) कि संबंधित जिलों से प्राप्ति के उपरान्त जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा।

इस प्रकार एम.एस.डी.पी. के इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन अपने अभीष्ठ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

- **अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं का छात्रावास निर्माण**

चूँकि अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे थी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली ने 19 अल्पसंख्यक छात्रों एवं 33 अल्पसंख्यक छात्राओं के छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी और तदनुसार राज्य सरकार ने राज्यांशों सहित जिलों को वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 33.92 करोड़ विमुक्त किया था।

सीतामढ़ी एवं कटिहार जिलों के अभिलेखों की संमीक्षा से प्रकटित हुआ कि छात्रावास हेतु सकल ₹ 14.68 करोड़[12] 12 की आबंटित राशि अनुपयोगित पड़ी थी (मार्च 2012)। विभाग, अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के छात्रावास निर्माण के अनुश्रवण में विफल रहा और योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाया।

प्रत्युत्तर में विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि योजनाओं के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय कार्यालयों का गठन किया जाएगा।

- **अयोग्य विद्यालयों को निधियाँ आबंटित**

विभाग अल्पसंख्यक छात्रों एवं छात्राओं के छात्रावास निर्माण के अनुश्रवण में विफल रहा

एम.एस.डी.पी. दिशानिर्देशानुसार अल्पसंख्यक बहुलता वाले गाँवों/प्रखण्डों/टोलों पर केन्द्रित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि विद्यालयों को ₹ 0.81 लाख (₹ 0.33 लाख टेराफिल्टर हेतु तथा ₹ 0.48 लाख डेस्क/बेंच हेतु) प्रदान किये गये थे। तदुपरान्त, 154 विद्यालयों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि कुल ₹ 0.23 करोड़ वैसे 28 विद्यालयों को प्रदान किये गये थे जहाँ एक भी अल्पसंख्यक छात्र नहीं पढ़ते थे। इस प्रकार,योजना का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

प्रत्युत्तर में विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि अररिया जिला अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में से एक था। योजना का चयन एवं स्वीकृति जिला स्तर से प्रारम्भ होकर अंतिम रूप से एम.एस.डी.पी. की सशक्त समिति द्वारा स्वीकृत होती थी।

जवाब युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि विद्यालयों का चयन जिला स्तर पर किया गया था न कि सशक्त समिति द्वारा।

4.8.1.2 प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

वैसे 28 विद्यालयों को निधियाँ आवंटित की गयी थी जहाँ एक भी अल्पसंख्यक बालक नहीं पढ़ता था

विभाग द्वारा प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना की शुरूआत अप्रैल 2008 में की गई थी। योजना का उद्देश्य अल्संख्यक समुदाय के अभिभावकों को विद्यालय आने योग्य बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित करना, स्कूली शिक्षा पर उनपर आने वाले वित्तीय भार को कम करना और बच्चों की स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के उनके प्रयासों में सहयोग देना था। विभाग इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य शिक्षा वक्फ बोर्ड, पटना के माध्यम से कर रही थी।

योजना संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकटित हुए:

12 *सीतामढ़ी (₹ 13.48 करोड़) और कटिहार (₹ 1.20 करोड़)*

- कुल प्राप्त ₹ 96.75 करोड़ में से शिया वक्फ बोर्ड पटना ने ₹ 38.71 करोड़ (40 प्रतिशत) रोके रखा तथा मात्र ₹ 58.04 करोड़ राज्य के 38 जिलों के मध्य विमुक्त किया ।
- यदपि बोर्ड ने चार नमूना जाँचित जिलों में ₹ 17.14 करोड़ वितरित दर्शाया था, संबंधित जिलों ने मात्र ₹ 16.65 करोड़ के प्राप्ति की पुष्टि की। निधियों में कुल ₹ 0.49 करोड़[13] का अन्तर अबतक समाशोधित नहीं किया गया था। पृच्छा करने पर विभाग एवं संबंधित जिले द्वारा अन्तर राशि के पीछे के वास्तविक कारण को नहीं बताया जा सका।
- शिया वक्फ बोर्ड ने प्री मैट्रिक छात्रवृति से संबंधित ₹ 0.71 करोड़ का प्रशासनिक व्यय किया था जबकि प्रशासनिक व्यय के लिए केवल ₹ 0.41 करोड़ ही प्राप्त हुआ था। अतः ₹ 0.30 करोड़ अधिक व्यय किया गया था।

जबाब में शिया वक्फ बोर्ड ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ₹ 0.71 करोड़ में से मात्र ₹ 0.31 करोड़ प्रशासनिक व्यय निधि से, व्यय किया गया था तथा शेष ₹ 0.40 करोड़ प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना संबंधित अवशेष निधि पर अर्जित ब्याज से व्यय किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ब्याज की राशि को उसी विशिष्ट मद में व्यय करना चाहिये जिसके लिये निधि आवंटित थी।

शिया वक्फ बोर्ड ने कुल प्राप्त राशि का 40 प्रतिशत अवरूद्व रखा। परिणामतः 16517 विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हुए

- शिक्षा वक्फ बोर्ड ने ₹ 19.93 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा (अक्टूबर 2010) जबकि उस तिथि तक कुल व्यय मात्र ₹ 17.25 करोड़ ही था। पुनः ₹ 26.04 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया (फरवरी–2011) जबकि उस तिथि तक कुल व्यय मात्र ₹ 23.21 करोड़ ही था। बहिर्गमन बैठक के दौरान यह बताया गया कि जाँचोपरान्त जवाब भेज दिया जायेगा।
- बोर्ड ने जिलों से ₹ 2.45 करोड़ की वापसी प्राप्त की थी (मार्च 2012 से अक्टूबर 2012) और इसे रोकड़बही में लेखापित नहीं किया गया था।

बहिर्गमन बैठक में कहा गया कि जाँचोपरान्त जवाब भेज दिया जाएगा।

- प्री–मैट्रिक छात्रवृति की समीक्षा एवं अनुश्रवण के अभाव में, 16517 विद्यार्थी[14] छात्रवृति से वंचित हुए थे।

बहिर्गमन बैठक के दौरान यह कहा गया कि समय एवं मानव बल संसाधनों की कमी के कारण उचित अनुश्रवण एवं संवीक्षा नहीं की जा सकी।

इस प्रकार विभाग चयनित लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण करने संबंधी निदेश देने में विफल रहा।

4.8.1.3 पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

विभाग द्वारा पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नवम्बर 2007 में प्रारम्भ की गई थी। योजना का उद्देश्य गरीब मेधावी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर एवं उनके उच्च शिक्षा नामांकन दर एवं रोजगारपरायणता से में वृद्धि लाना था। बिहार

---

13 (i) अररिया -₹ 8.39 लाख, (ii) दरभंगा -₹ 1.62 लाख, (iii) कटिहार -₹ 1.45 लाख और (iv) पूर्णियाँ-₹ 37.54 लाख।

14 शिया वक्फ बोर्ड में 10948 विद्यार्थी और जिला स्तर पर 5569 विद्यार्थी।

राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (बी.एस.एम.एफ.सी.), पटना इस योजना का कार्यकारी अभिकरण था। योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकटित हुए:

- इस योजनान्तर्गत विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 23.82 करोड़ का व्यय दर्शाया था जबकि बी.एस.एम.एफ.सी., पटना ने इस वर्ष के दौरान विभाग द्वारा ₹ 22.27 करोड़ के प्राप्ति की पुष्टि की थी। लेखापरीक्षा तिथि (जुलाई 2012) तक अन्तर राशि ₹ 1.55 करोड़ असमाशोधित पड़ी थी।

  विभाग ने स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 1.55 करोड़ को अब अप्रैल 2012 के लेखे में शामिल कर लिया गया है।
  जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 में सम्मिलित कर ली जानी चाहिये थी।

विभाग आवंटित निधि का मात्र 66 प्रतिशत ही उपयोग कर सका

- वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान प्राप्त राशि ₹ 54.44 करोड़ (1,36,667 लाभाथियों हेतु लक्षित) में से बी.एस.एम.एफ.सी., पटना ने ₹ 35.83 करोड़ (92093 लाभार्थी) वितरित किया तथा ₹ 18.61 करोड़ (34 प्रतिशत) अनुपयोगित पड़ा रहा।

जवाब में, बी.एस.एम.एफ.सी. ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया।

- लाभार्थियों एवं प्राधिकारियों के बीच अधिसंख्य स्तरों जैसे विभाग, बी.एस.एम. एफ.सी., डी.डब्लू.ओ., प्राचार्य आदि के अस्तित्वों के कारण छः जिलों में कुल प्राप्त राशि ₹ 3.77 करोड़[15] के विरूद्ध ₹ 3.03 करोड़[16] व्यय हुआ था तथा ₹ 0.74 करोड़ अवशेष पड़ा था।

  इस प्रकार विभाग केन्द्र प्रायोजित योजना की कर्णांकित निधियों का उपयोग नहीं कर सका और अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

4.8.2 राज्य योजनागत योजनाएँ

वर्ष 2007–12 के दौरान, विभाग ने 12 राज्य योजनागत योजनाएँ कार्यान्वित की थी जिसमें कुल प्राप्त आबंटन ₹ 175.66 करोड़ में से ₹ 163.54 करोड़ व्यय किए गए थे।

नमूना जाँचित सात जिलों में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के जाँच के दौरान निम्नांकित कमियाँ पायी गयी:

4.8.2.1 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (एम.एम.एम.पी.पी.वाई.) एक राज्य छात्रवृत्ति योजना है जो मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में नामांकन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2007–08 में आरंभ की गई थी। योजना के अभिलेखों की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि:

विभाग आबंटन के विरूद्ध पाँच जिलों को निर्गत एवं उनके द्वारा प्राप्त ₹ 1.54 करोड़ की अंतर राशि का समाशोधन नहीं कर सका

- पाँच नमूना जाँचित जिलों ने इस योजना के तहत ₹ 7.27 करोड़[17] के प्राप्ति को स्वीकार किया था जो विभाग के कुल ₹ 8.81 करोड़[18] के आबंटन के

15 *(i) अररिया -₹ 71.05 लाख, (ii) कटिहार -₹ 70.57 लाख,(iii) किशनगंज -₹ 65.11 लाख,(iv) पूर्णियाँ-₹ 97.03 लाख(v) सीतामढ़ी -₹ 25.87 लाख और (vi) प. चंपारण -₹ 47.38 लाख*

16 *(i) अररिया -₹ 9.39 लाख,(ii) कटिहार -₹ 64.00 लाख, (iii) किशनगंज -₹ 62.12 लाख, (iv) पूर्णियाँ -₹ 96.86 लाख, (v) सीतामढ़ी -₹ 25.03 लाख और (vi) प. चंपारण -₹ 45.68 लाख*

17 *(i) अररिया - ₹ 0.77 करोड़, (ii) कटिहार -₹ 1.89 करोड़,(iii) किशनगंज -₹ 1.83 करोड़,(iv) पूर्णियाँ -₹ 1.01 करोड़ और (v) पं. चंपारण-₹ 1.77 करोड़*

विरूद्ध था। तथापि, ₹ 1.54 करोड़ का अन्तर लेखा–परीक्षा तिथि (जुलाई 2012) तक समाशोधित नहीं किया गया था।

- रूपये 2.46 करोड़[19] चार जिलों के रोकड़ पंजी में लेखापित नहीं किए गए थे।
- विभाग को क्रियान्वयी अभिकरणों द्वारा लाथार्थियों के हस्ताक्षरायुक्त ₹ 6.19 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
- पाँच जिलों में ₹ 0.13 करोड़[20] के चेकों/रोकड़ों का वितरण नहीं किया गया था और उसे तिजोरी में रखा गया था।
- रुपये दो लाख के व्यय (जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज) को बिना वास्तविक भुगतान के ही लेखा में शामिल कर लिया गया था।

इस संबंध में विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था तथापि, जिला कल्याण पदाधिकारी किशनगंज ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि संबंधित लाथार्थियों को क्रौस चेक हस्तगत करा दिया जाएगा।

4.8.2.2 हज भवन एवं ओडोटोरियम/स्मारक का निर्माण

विभाग एवं कार्यकारी एजेन्सी, भवन निर्माण विभाग, बिहार के अभिलेखों तथा उपलब्ध करायी गये विवरणी की संचिका से प्रकटित हुआ कि दोनों विभागों के लेखों में वृहत् अन्तर था। जहाँ विभाग के लेखे ₹ 12.90 करोड़ का व्यय प्रदर्शित करे रहे थे, वहीं क्रियान्वयी अभिकरण द्वारा मात्र ₹ 8.31 करोड़ की प्राप्ति ही स्वीकार की गई थी।

जवाब में, विभाग ने सुनिश्चित किया (दिसम्बर 2012) कि अन्तर राशि भवन निर्माण विभाग के संबंधित शीर्ष "8782" में पड़ी थी। इस प्रकार, लेखे में वास्तविक व्यय के बिना ही व्यय अंकित किया गया था।

4.8.2.3 अल्पसंख्यक छात्रावास के निधियों का अवरूधन

विभाग ने राज्य योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु वर्ष 2007–10 के दौरान चार जिलों[21] को ₹ 4.30 करोड़ विमुक्त किया था।

संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण राशि लेखा परीक्षा तिथि (जूलाई 2012) तक अनुपयोगित पड़ी थी। तदुपरान्त, विभाग द्वारा विमुक्त ₹ 3.50 करोड़ के विरूद्ध सीतामढ़ी एवं दरभंगा जिलों ने अपने रोकड़बहियों में ₹ 2.66 करोड़ के पावती की सम्पुष्टि की थी। अन्तर राशि ₹ 0.84 करोड़ का लेखापरीक्षा तिथि (जूलाई 2012) तक समाशोधन नहीं किया गया था।

इस संदर्भ में विभाग द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया था।

4.9 निष्कर्ष

विभाग ने अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाया था। जिला स्तर पर बिना अंतःसंरचना के विभाग की तदर्थ व्यवस्था के कारण अल्पसंख्यकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावित हुई। विभाग ने अपनी स्थापना के बीस वर्ष के

18 *(i) अररिया-₹ 1.26 करोड़, (ii) कटिहार-₹ 2.21 करोड़, (iii) किशनगंज-₹ 1.92 करोड़, (iv) पूर्णियाँ -₹ 1.34 करोड़ और (v) पं. चंपारण-₹ 2.08 करोड़*

19 *(i) अररिया -₹ 0.48 करोड़, (ii) दरभंगा-₹ 1.21 करोड़, (iii) सीतामढ़ी-₹ 0.41 करोड़ और (iv) प. चंपारण-₹ 0.37 करोड़*

20 *(i) अररिया-₹ 0.70 लाख,(ii) दरभंगा-₹ 0.40 लाख (iii) पूर्णियाँ-₹ 3.20 लाख (iv) सीतामढ़ी-₹ 0.40 लाख और (v) प. चंपारण-₹ 8.10 लाख*

21 *(i) अररिया-₹ 104.98 लाख, (ii) दरभंगा-₹ 98.10 लाख, (iii) सीतामढ़ी-₹ 127.38 लाख और (iv) प. चंपारण-₹ 100.00 लाख*

उपरांत भी निदेशालय का गठन नहीं किया था और उसके पास स्वीकृत कार्यबल की पूर्ण क्षमता भी नहीं थी। विभाग के वित्तीय प्रबंधन का अभाव था क्योंकि विभाग अपनी आबंटित निधियों का मात्र 61 प्रतिशत ही उपयोग कर सका था। विभाग के अप्रभावी कार्यशीलन के कारण अलपसंख्यकों की प्रत्येक कल्याणकारी योजना कार्यान्वित नहीं हुयी अथवा अंशतः कार्यान्वित हुयी थी।

4.10 अनुशंसाएँ

- विभाग को अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये अपनी योजना तैयार एवं शुरूआत करनी चाहिये।
- मानव बल की पदस्थापना युक्तिसंगत होनी चाहिये।
- बचतों की परिहार्यता के लिये बजट आकलनों को वास्तविकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
- योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।